तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.न. 252 / 2023 देवीलाल बनाम धापीदेवी वगै अन्तर्गत धारा 111,128 आरटीए	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

19/07/24

पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष उपस्थित । बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता द्वार प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि प्रार्थी के नाम से खातेदारी भूमि तहसील लूनकरनसर के राजस्व ग्राम राजपुरा हुडान के खसरा नम्बर 1092 / 755 तादादी 9 5800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1094 / 977 तादादी 3.9000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1096 / 978 तादादी 0.6000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 516 तादादी 6.1800 हैक्टेयर कुल तादादी 20.2600 हैक्टेयर भूमि कब्जे एवं दखल मे निरन्तर चली आ रही है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि राजस्व नक्शा मे तरमीमशुदा है तथा तरमीम के अनुसार प्रार्थी का कब्जा एव दखल चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि मे से खसरा नम्बर 1096 / 978 तादादी 0.6000 हैक्टयर भूमि का सीमाज्ञान श्रीमान तहसीलदार (भू.अ.) लूनकरनसर से विधिवत आदेश लेकर हल्का पटवारी द्वारा दिनाक 10.06.2023 को ग्राम के मौजिज व्यक्तियो एव खेत पडोसीयो की उपस्थिति में पुख्ता चिन्ह गांव के पुराने कुएं को आधार मानकर जरीब व जीपीएस चला कर करवाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमा चिन्हीत कर सीमा चिन्ह कायम किये गये। प्रार्थी अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि मौजा रोही ग्राम राजपुरा हुडान के खसरा नम्बर 1096 / 978 तादादी 0.6000 हैक्टेयर भूमि की सीमा पर सीमा चिन्ह (पत्थर गढी) स्थापित करवाना चाहता है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व उसके परिवारजन प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि की सीमा पर पत्थरगढी नहीं करने दे रहे है जबकि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि की सीमा पर पत्थरगढी करवाने के संवैधानिक अधिकार है। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान के समय हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी की भूमि की सीमा कायम कर कच्चे चिन्ह (रेत के दाबे) लगवाये थे लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 उक्त सीमा चिन्ह पर पुख्ता चिन्ह(पत्थरगढी) नहीं करने दे रहे है जिसका कतई अधिकार अप्रार्थी सख्या 1 को नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि प्रार्थी की भूमि से पश्चिमद क्षिण दिशा में खसरा नम्बर 273 में स्थित है। जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि से अलग खसरा नम्बर में स्थित है एवं नक्शा में तरमीमशुदा है। जिस पर अप्रार्थी का कब्जा एवं काश्त है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं पर पत्थरगढी करवाने का कानूनी अधिकार है। अप्रार्थी प्रार्थी के सींव जोड काश्तकार है जिसका बैजा फायदा उठाकर अप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी नहीं करने दे रहे है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा रोही ग्राम राजपुरा हुडान के खसरा नम्बर 1096 / 978 तादादी 0.6000 हैक्टेयर भूमि की सीमा पर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) कायम कराने का आदेश तहसीलदार लूनकरनसर को करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुवे निवेदन किया गया कि जिस कदन खसरा नम्बर 1096 / 978 तादादी 0.6000 हैक्टेयर का सीमाज्ञान दिनांक 10.06.2023 को कराना बताया गया है वह खसरा अपने पिता हरचंद की पूरी जोत तादादी पुराने खसरा नम्बर 205 का 10.12 भाग है तथा बाकी रकबा हिस्सा संयुक्त खाता की तरमीम तत्समय रिकार्ड मे रतिराम वगैराह पिसरान मुखराम के नाम अब रिकार्ड जमाबंदी अनुसार 1097 / 978 तादादी 1.7300 हैक्टेयर कुल रकबा 10.12 हैक्टेयर है। मगर आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। मिसल बदोबस्त संवत 2070 मे प्रार्थीगण के 205 की तरमीम 204,205,206 वर्तमान रिकार्ड उक्त खसरा नम्बर ही नही बने है। 204 से 208 तक रकबा राज की मिला न क्षेत्रफल की प्रति सलग्न है। उक्त खसरा नम्बर 978 खसरा नम्बर 205 खसरा नम्बर 204 के पास स्थित तरमीम बाबत खातेदारी के नम्बर अंकित किए गए है जो खसरा नम्बर 204 के पास पश्चिम व 206 के पश्चिमम तरमीम कब्जाकास्त अनुसार प्रार्थी की है।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर